कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर
मोतीझील, कानपुर

पत्रांक : दिनाक :

तदर्थ आवंटन पत्र
(भारत सरकार के पोर्टल पर स्वीकृति की शर्त के साथ)

Subject : Regarding Provisional Allotment of a Property in **P.M.AWAS YOJNA** Scheme
विषय : सम्पत्ति तदर्थ आवंटन के सम्बन्ध में।

Mode of Provisional Allotment:

सेवा में,
श्री / सुश्री / श्रीमती ....
पिता / पति ....
नि0 ....
....

महोदय / महोदया,
With reference to above cited subject, I have been directed to inform you that a Property has been Provisionally Alloted as per your particulars given below :-
उपरोक्त विषयक योजना के अन्तर्गत निम्नानुसार सम्पत्ति का तदर्थ आवंटन आपको किया जाता है :-

Property ID :
Property No. :
Category :
Property Code :
Scheme :
Floor :
Sector :
Sub Scheme :
Property Type :
Section :
Registration Amount :
Building Type :
Area :
Property Cost : (To be paid by Allotee)
Handicapped :
Senior Citizen :

Allotment Dues (Payment Terms)-

क्रम संख्या	देय का प्रकार	धनराशि (रू0)	प्रथम किश्त की तिथि	किश्तों की संख्या	ब्याज दर	दंड ब्याज
1.						
2.						

Installments Payment Schedule
आपको अवशेष धन निम्न विवरण के अनुसार निर्धारित तिथि के अन्दर रजिस्ट्रेशन / प्रापर्टी आई0डी0 के विवरण सहित प्राधिकरण / सम्बन्धित बैंक काउंटर में जमा करना आवश्यक होगा :

किश्त संख्या	भुगतान हेतु अंतिम तिथि	मूल धनराशि	ब्याज की धनराशि	कुल धनराशि
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
	कुल			

नियम व शर्तें :

1. किश्तें अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती है। किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 13 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त ब्याज के रूप में देय होगी। उपरोक्त देय धनराशि .... **बैंक** कानपुर नगर की किसी भी शाखा में जमा की जा सकेगी।

2. नियमानुसार जी0एस0टी0 की धनराशि अतिरिक्त देय होगी।

3. भवन के पंजीकृत अनुबंध अभिलेख निष्पादन से पूर्व रू0 4500.00 अनुरक्षण फण्ड एवं रू0 4500.00 कारपस फण्ड हेतु जमा करने होंगे।

4. यदि आवंटी द्वारा आवंटित भवन का समर्पण आवंटन धनराशि जमा करने के पूर्व किया जाता है तो उस स्थिति में सम्पूर्ण पंजीकरण धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

5. यदि आवंटी द्वारा भुगतान विवरण के अनुसार लगातार दो किश्तें अदा नहीं की जाती हैं तो भवन का आवंटन निरस्त करते हुये आवंटन धनराशि रू0 50,000.00 में से 20 प्रतिशत धनराशि कटौती कर अवशेष समस्त जमा धनराशि वापस कर दी जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

6. भवन का निर्माण तथा समस्त किश्तों की अदायगी के उपरान्त पंजीकृत अनुबन्ध निष्पादित करते हुये कब्जा दिया जाएगा। कब्जे की तिथि से 5 वर्ष की अवधि उपरान्त 90 वर्ष की लीजडीड आवंटी के व्यय पर निष्पादित कराई जायेगी।

7. आवंटी को पंजीकृत अनुबन्ध अभिलेख निष्पादन के पश्चात् भवन का कब्जा पत्र प्राधिकरण द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर ही उपलब्ध कराया जायेगा एवं स्थल पर भवन का कब्जा भी स्वयं उपस्थित होने पर दिया जायेगा।

8. निर्धारित विक्रय मूल्य जमा किये जाने के पश्चात् शासनादेश के अनुसार निर्धारित नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर तथा रू0 50.00 का अतिरिक्त स्टाम्प पेपर व पासपोर्ट साइज के 4 फोटो जमा कराकर शासन के निर्देशानुसार पंजीकृत अनुबन्ध अभिलेख अपने पक्ष में निष्पादित कराना होगा। तदोपरान्त कब्जे की तिथि से 5 वर्ष की अवधि उपरान्त लीजडीड (स्वयं उपयोग की दशा में) निष्पादित की जायेगी।

9. आवंटी को बिजली कनेक्शन स्वयं अपने व्यय पर प्राप्त करना होगा तथा बिजली संयोजन एवं बिल आदि का भुगतान आवंटी द्वारा स्वयं सम्बन्धित विभाग को किया जायेगा।

10. यह तदर्थ आवंटन पत्र आवंटी द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र तथा जिला नगरीय विकास अभिकरण, कानपुर नगर (डूडा)/निदेशक सूडा द्वारा किये गये सत्यापन के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आपके द्वारा गलत प्रमाण पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनायें प्रस्तुत की गई थी अथवा डूडा/सूडा द्वारा आपकी पात्रता के सम्बन्ध में प्रतिकूल निर्णय लिये जाने की स्थिति में यह आवंटन पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा एवं आवंटन धनराशि जब्त कर ली जायेगी। यह गलत प्रमाण पत्र, शपथ पत्र/सूचना देना आपराधिक कृत्य में आयेगा तथा ऐसा पाये जाने पर सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जायेगी।

11. **यह तदर्थ आवंटन पत्र इस आधार पर निर्गत किया जा रहा है कि :–**

(1) आवंटी या उसके परिवार के नाम भारत में कहीं भी कोई पक्का मकान नहीं है।

(2) आवंटी द्वारा सरकार द्वारा प्रायोजित किसी भी आवासीय योजना में लाभ नहीं लिया गया है।

(3) आवंटी द्वारा कभी भी भवन को विक्रय/पट्टा/हस्तांतरण/किराये पर नहीं दिया जायेगा।

(4) आवंटी द्वारा कब्जा पत्र प्राप्त करने के एक माह के अन्दर भवन का कब्जा प्राप्त कर लिया जायेगा। अन्यथा नियमानुसार रू0 200.00 प्रतिमाह की दर से चौकीदारी शुल्क देय होगा।

12. यह तदर्थ आवंटन पत्र निम्न शर्तों के अधीन जारी किया जा रहा है :–

(1) लाटरी ड्रा के उपरान्त नियमानुसार सूडा द्वारा एम0आई0एस0 कराया जायेगा।

(2) एम0आई0एस0 के उपरान्त नियमानुसार अंगूठे के इम्प्रेशन द्वारा भारत सरकार के पोर्टल पर पंजीकरण के उपरान्त अन्तिम आवंटन पत्र जारी होगा तथा वही मान्य होगा। देय विक्रय मूल्य तदर्थ आवंटन पत्र में लागू शिड्यूल के अनुसार ही मान्य होगा।

(3) किसी भी स्थिति में गलत आरक्षण साबित होने पर नियमानुसार कटौती कर धनराशि वापस कर दी जायेगी।

13. प्राधिकरण द्वारा योजना के भवनों के प्रथम कब्जे की तिथि से अधिकतम 5 वर्षों तक या आर0डब्लू0ए0 का गठन हो जाने तक (जो भी पहले हो) योजना का रखरखाव किया जायेगा। 5 वर्ष से पूर्व आर0डब्लू0ए0 का गठन हो जाने की स्थिति में साझा क्षेत्रों एवं सामूहिक सुविधाओं का हस्तान्तरण होने के पश्चात् अनुरक्षण फण्ड एवं कारपस फण्ड की अवशेष धनराशि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को हस्तगत कर दी जायेगी।

14. अन्य नियम व शर्तें पंजीकरण विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

किसी भी विवाद में उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

भवदीय

प्रभारी पी.एम.ए.वाई